फर्द अहकाम

नियम 26

बाज अदालत........सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक..............मुकाम....................भादरा..

....मनीराम.......बनाम.. अजय कुमार आदि ....

किस्म मुकदमा............212 आरटीएक्ट ....न० 67 20 सन्.............. 2020. 67/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
29.12.2020	प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का अधिवक्ता श्री सुनील बैनीवाल के द्वारा पेश किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस पर मनन करने एवं रिकार्ड का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे वादाधीन रकबा तहसील भादरा के वाके रोही मौजा जोगीवाला खाता सं0 47/45 मु0 न0 134 के किला न0 15, 16 मु0 न0 135 के किला न0 11 ता 25 मु0 न0 136 के किला न0 11, 20, 21 कुल 5.0600है0 बारानी खातेदारी में अप्रार्थीगण वादभूमि में विशिष्ट मुरब्बा नम्बर व किला नम्बर का रहन, बैय व मुन्तकिल ना करे। यह अस्थाई निषेधाज्ञा केवल दिनांक 03.02.2021 तक है। आगामी आदेश सुनवाई पश्चात पृथक से जारी होंगे। आज से पूर्व पंजीकृत बैयनामे पर यह लागू नहीं। बैंक ऋण (रोडा एक्ट), रास्ता, खाला विवाद, वाप्कोस कार्य DILRMP पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। आगामी तारीख पेशी पर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड एव सामान्य नोटिस प्रस्तुत नहीं करने पर तथा प्रार्थी या प्रतिनिधि उपस्थित न होने पर अस्थाई निषेधाज्ञा की अवधि नहीं बढाई जावेगी। इस बाबत कोई उज्र एतराज हो तो अप्रार्थीगण असालतन या वकालतन हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश करें कि क्यों न प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई आदेश ता॰ फैसला वाद कन्फर्म कर दिया जावे तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगण क तलबी हेतु रजिस्टर्ड एवं सामान्य नोटिस भिजवाए जाकर तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 03.02.2021 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)भादरा	
03/02/21	वकील वादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थीउप. पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते.....पेशी दिनांक 25/3/21 को पेश हो। [signature]	
25/3/21	पत्रावली पेश हुई पक्षकार प्रार्थी उपस्थित प्रार्थी ने [illegible] पेश किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया [illegible] वास्ते [illegible] दिनांक 27/5/21 को पेश हो। [signature]	
27/5/21	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी .....अवकाश में..... दिनांक 28.6.21.. को पेश हो। [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:51:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

28.6.21 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी ...छुट्टी पर... दिनांक 1.10.21 .. को पेश हो।

25.10.2021 पत्रावली प्रस्तुत। गांव के सरपंच अभिमान गहीछानी ने वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर पेशी में ली गई। वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आगे प्रकरण में पक्षकारान का आपसी राजीनामा हो चुका है इसलिए पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते। इसी स्टेज पर not press में खारिज की जावे। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली इसी स्टेज पर not press में खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम हो इंद्राज दाखिल हो।

पत्रावली में आगे कार्यवाही नहीं चाहते not press

भगतराम

प. सं. Sunil

(हस्ताक्षर)

सहायक ... फास्ट ट्रैक ... प्र. ... मंग आ.-2021 कैम्प ... गहीछानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:51:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner